योजना का नाम : **प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी)**

स्थल : **जवाहरपुरम्, शताब्दी नगर**

उद्देश्य :–

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी) का शुभारम्भ जून, 2015 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेघर परिवारों (जिनके पास पक्का आवास नहीं है) को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है।

योजना का विवरण : प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कराये जा रहे भवनों का विवरण निम्नवत् है :–

भवन विवरण तालिका

क्र. सं	योजना का नाम / (रेरा रजिस्ट्रेशन संख्या)	भवनों की संख्या	भवन का कार्पेट एरिया / सुपर एरिया वर्ग मी.	भवन का मूल्य मूल्य (लाख रू0)	केन्द्रीय अंशदान (अनुदान) (लाख रू0)	राज्य अंशदान (अनुदान) (लाख रू0)	लाभार्थी द्वारा देय धनराशि (लाख रू0)
1	जवाहरपुरम्	3072		6.51	1.50	1.00	4.01
2	शताब्दी नगर	4800		6.51	1.50	1.00	4.01

नोट :–

1. कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि का कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी।
2. प्रस्तावित विक्रय मूल्य में अन्य देय टैक्स वास्तविक अनुसार अतिरिक्त देय होगें।
3. भवनों के स्ट्रक्चरल ग्रिड के सापेक्ष कारपेट क्षेत्रफल 24.68 से 24.75 वर्गमी. है। यह समान रूप से मूल्य हेतु मान्य / ग्राह्य होगा।

डिमाण्ड सर्वे :–

1. डिमाण्ड सर्वे की अवधि दिनांक .... से दिनांक .... तक।
2. आवेदन शुल्क रू. 5,000.00 (रूपये पांच हजार मात्र)।

पंजीकरण / किश्तें :–

1. डिमाण्ड सर्वे में प्रस्तावित भवनों को आवेदन में प्राप्त संख्या व उपलब्धता के आधार पर बनाया जाना प्रस्तावित है। डिमाण्ड के आधार पर यदि भवनों को बनाये जाने का निर्णय होता है तब डिमाण्ड सर्वे विवरण को पंजीकरण के रूप में रेरा में पंजीकरण कराकर प्राप्त डिमाण्ड को भवनों के पंजीकरण की मान्यता दी जाएगी, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों / प्राधिकरण की वेबसाईट पर दी जायेगी।
2. डिमाण्ड सर्वे के आधार पर उपारोक्तानुसार पंजीकृत आवेदकों का सत्यापन उ0प्र0 राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) से कराये जाने के उपरान्त आवंटन की कार्यवाही एवं पेमेण्ट शिड्यूल निर्गत किया जायेगा।
3. आवंटन पत्र जारी होने के उपरांत लाभार्थी द्वारा एक माह के अन्दर रू. 45,000.00 (रू. पैंतालिस हजार मात्र) तथा अवशेष देय धनराशि छः तिमाही किश्तों में देय होगी। किश्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर 11 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।
4. आवंटन पत्र इस आधार पर निर्गत किया जायेगा कि
   - **a.** आवंटी या उसके परिवार के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
   - **b.** आवंटी द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं लिया गया है।
   - **c.** निर्माण उपरान्त लाभार्थी के पक्ष में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराते हुये कब्जा दिया जायेगा।

d. कब्जे की तिथि से 5 वर्ष तक उक्त इकाई का उपयोग आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा।

e. यदि 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नहीं किया जाता है तो आवंटन निरस्त करते हुये उक्त इकाई सम्बन्धित प्राधिकरण में निहित हो जायेगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।

f. आवंटी द्वारा कब्जा पत्र प्राप्त करने के एक माह के अन्दर भवन का कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा, अन्यथा नियमानुसार रू0 200.00 प्रतिमाह की दर से चौकीदार शुल्क देय होगा।

पात्रता :—

1. आवेदक भारत का नागरिक एवं कानपुर के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की उम्र आवेदन प्रारंभ होने की तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी एवं अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायशी इकाई) नहीं होना चाहिए।
4. दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों हेतु अधिकतम रू. 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) तक वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होगें। आवदेन प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पूर्व जारी हुए आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदनकर्ता को सम्बन्धित तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उपरोक्त पात्रता धारक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होगें। राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा पूर्व में चयनित आवेदकों के साथ—साथ नये आवेदकों को भी कानपुर विकास प्राधिकरण से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन भवनों हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात् उनकी पात्रता का सत्यापन राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा किये जाने के उपरांत सत्यापित आवेदक ही आवंटन के पात्र होगें।
6. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये आवास, परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होगा और केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, तो परिवार के पुरूष सदस्य के नाम से किया जा सकता है।

आरक्षण :—

1. उ.प्र. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 1022/आठ—1—18—93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आवासीय योजना सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "वरीयता नीति" व्यवस्था निम्नानुसार की गयी है :—

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्र.सं.	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिषत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27

(ब) हॉरिजेंटल वरीयता

क्र.सं.	श्रेणी	हॉरिजन्टल वरीयता प्रतिषत
1.	दिव्यांगजन	05 प्रतिषत (वरीयता—भूतल के भवन/फलैट)
2.	विधवा/एकल महिला	08 प्रतिषत
3.	उभयलिंगी	0.5 प्रतिषत
4.	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।
5.	वरिष्ठ नागरिक	10 प्रतिषत (वरीयता भूतल के भवन/फलैट)

1. आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

2. वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य यह है कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि को आयु 60 वर्ष से कम न हो।
3. सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

आवंटन :–

1. आवेदकों की सूची निदेशक सूडा लखनऊ को प्रेषित की जाएगी एवं वह इस सूची को भौतिक सत्यापन कराते हुए सत्यापित सूची का.वि.प्रा. को उपलब्ध करायेगें। सत्यापित सूची के आवेदकों को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। असत्यापित आवेदकों के आवेदन निरस्त समझे जायेगें।
2. सफल आवेदकों को मैनुअल लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा जिसकी पूर्व सूचना कानपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।
3. प्राप्त आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी कुल भवनों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों (यदि उपलब्ध हो) हेतु की जायेगी। उक्त 10 प्रतिशत की संख्या के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची अभिकरण द्वारा जारी करते हुए प्रतीक्षा सूची के अन्तर्गत आ रहे सभी लाभार्थियों को भी आवंटन पत्र जारी किया जायेगा। वास्तविक चयनित लाभार्थियों में से डिफॉल्टर (यदि कोई हो) लाभार्थियों का आवंटन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में स्थित लाभार्थियों को क्रमवार डिफाल्टर लाभार्थियों के भवन आवंटित कर संशोधित पत्र जारी किया जायेगा। ऐसी दशा में डिफाल्टर लाभार्थियों द्वारा जमा धनराशि अभिकरणों के आवंटन नियमावली के आधार पर कटौती के उपरान्त डिफाल्टर लाभार्थियों को वापस कर दी जायेगी। लाभार्थियों द्वारा मांग पत्र के अनुसार धनराशि जमा कर भवन आवंटन स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को प्रचलित एफ.डी.आर. की दर से अभिकरण द्वारा ब्याज सहित आवेदन धनराशि वापस की जायेगी।
4. शताब्दी नगर, जवाहरपुरम्, मछरिया एवं सनिगवां योजना के सभी पाकेट्स के भवनों का योजनावार लाटरी के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।
5. लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण नोटिस बोर्ड एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in पर उपलब्ध होगा।
6. सफल आवेदक को आवंटन पत्र भारत सरकार के पोर्टल पर बॉयोमैट्रिक सत्यापन अनुसार ही निर्गत तथा अनुमन्य होगा, जिस हेतु लॉटरी में सफल आवेदक को स्वयं प्राधिकरण/अन्य निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर बायोमैट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
7. आवंटी विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित विभाग से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा।
8. आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।
9. आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होगें।

डिमाण्ड सर्वे में निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :–

1. डिमाण्ड सर्वे के उपरान्त योजना विशेष स्थगित/निरस्त करने पर समस्त आवेदकों को जमा धनराशि बिना किसी ब्याज के बैंक द्वारा फार्म में अंकित बैंक खाते में वापस जमा करा दी जायेगी।
2. यदि कोई आवेदक लॉटरी की तिथि घोषित होने के पूर्व आवेदन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देता है, तो उसकी आवेदन धनराशि वापस कर दी जायेगी और उसे लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, किन्तु लॉटरी की तिथि घोषित होने के पश्चात् और लॉटरी की प्रक्रिया सम्पन्न होने के पूर्व आवेदन निरस्तीकरण सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
3. लॉटरी के पश्चात् असफल जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हें आवेदन धनराशि बिना ब्याज एक माह के अन्दर आर.टी.जी.एस. द्वारा आवेदन पत्र में अंकित

बैंक के माध्यम से वापिस की जायेगी। इस हेतु आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित करना अनिवार्य है।

4. यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा आवेदन की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो आवेदक द्वारा जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ड्रा एक वर्ष पश्चात् किया जाता है तो असफल आवेदकों को आवेदन की अन्तिम तिथि से ड्रा की तिथि तक एस.बी.आई. बचत खाता का साधारण ब्याज देय होगा।
5. यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण किया जाता है अथवा नियम व शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उस स्थिति में आवंटन धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।

आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :–

1. यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन / उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को, जो इस योजना हेतु पात्र है को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार समस्त भुगतान करने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। पात्र उत्तराधिकारी न मिलने पर भवन अभिकरण में निहित समझा जायेगा।

मिथ्या अभिकथन अथवा तथ्यों का छिपाना:–

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, का.वि.प्रा. में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) करने को स्वतंत्र होगा।

भवनों का पंजीकृत अनुबन्ध, कब्जा एवं लीज डीड :–

1. भवनों का निर्माण आगामी दो से तीन वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु भवनों का कब्जा शासनादेश संख्या 1131/आठ–1–17–106विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण किये जाने के अनुसार अनुमन्य होगा।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरांत शासनादेश संख्या 3188/आठ–1–13–80 विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर 2013 के प्रस्तर–2 (viii) के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित है। परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिये दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, किन्तु नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जाएगी, तत्पश्चात् बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली की जाएगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात् कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को वापस की जाएगी। निर्माण के उपरांत लाभार्थी के पक्ष में औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए एवं पूर्ण भुगतान के उपरान्त पंजीकृत अनुबंध (त्रिपक्षीय) निष्पादित कराते हुए कब्जा दिया जाएगा। कब्जे की तिथि से 5 वर्ष तक उक्त इकाई का उपयोग आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही लीज डीड निष्पादित किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुए उक्त इकाई प्राधिकरण में निहित हो जाएगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।
3. आवंटी को समस्त मूल्य जमा करने के उपरांत तीन महीनें के अंदर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अपने खर्च पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गयी दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।
4. आवंटन से पूर्व आवेदक को ऑनलाइन अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

5. निबन्धन मे आने वाला समस्त व्यय (स्टैम्प पेपर व कोर्ट फीस) आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
6. प्राधिकरण द्वारा सूचित अवधि में पंजीकृत अनुबन्ध न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार होल्डिंग शुल्क रू. 200/– प्रति माह देना होगा, तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम छः माह तक कब्जा न लेने पर उपाध्यक्ष, का.वि.प्रा. को भवन का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख–रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा। योजनान्तर्गत निर्मित भवनों में कॉमन सुविधाओं के रख–रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम, 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक अनुरक्षित किया जायेगा। 5 वर्ष से पूर्व आर. डब्ल्यू.ए. का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात् अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।

शुल्क/कर आदि की देयता :–

1. नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होगें।
2. जी.एस.टी. का नियमानुसार भुगतान करना होगा जो कि अनुबंध/रजिस्ट्री के समय भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार होगा।

अन्य सामान्य नियम व शर्तेः–

1. आवंटन के पश्चात् कानपुर विकास प्राधिकरण मे अन्य प्रचलित शर्ते/नियम समय–समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/ परिवर्धन लागू एवं मान्य होगें।
2. इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
3. किसी की प्रकार के बाद का परिक्षेत्र कानपुर नगर होगा।

आवेदन कैसे करें:–

1. योजना में आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगें।
2. योजना में आवेदक कानपुर विकास प्राधिकरणं की वेबसाइट www.kdaindia.co.in पर किये जायेंगे।

आवेदन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतः–

1. आवेदक केवल एक आवेदन फार्म से एक योजना हेतु आवेदन कर सकता है।
2. विवरणिका में दर्शायी उसी योजना की लॉटरी में आवेदक का नाम सम्मिलित किया जायेगा। अन्यथा आवेदक जिस योजना हेतु आवेदन करना चाहता है, आनलाइन आवेदन फार्म में उक्त योजना का नाम चयन करें।

भवनों के निर्माण हेतु भूमि एवं वाह्य विकास कार्य की व्यवस्था :–

1. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 1131/आठ–1–17–106विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग/इन–पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है।
2. शासन के आदेश संख्या 1875/आठ–1–18–80 विविध/2010 दिनांक 17 अक्टूबर 2018 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के

अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के वाह्य विकास कार्य निम्नानुसार विभिन्न/कार्यदायी संस्था से कराये जाने है:-

1. **एप्रोच रोड एवं ड्रेन/सीवर :-**

अ. नगर के मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोड़ने वाली एप्रोच रोड उ.प्र. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप बिटुमिन्स रोड के रूप में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से निर्मित की जायेगी।

ब. एप्रोच रोड के दोनों ओार वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर अन्य स्त्रोतों से भी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।

स. योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रंक ड्रेन का निर्माण नगर निगम स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

द. योजना परिसर के निकटवर्ती नगर के क्षेत्र में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर से नगर के मुख्य सीवर को जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण उ.प्र. जल निगम/नगर निगम स्थानीय नगर विकास द्वारा किया जायेगा इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

2. **बाह्य जलापूर्ति :-**

अ. योजना के प्रत्येक पाकेट में ओवर-हेड-टैंक (आवष्यकतानुसार) नलकूप राइजिंग मेंन, पम्पिंग-प्लान्ट तथा पम्प हाउस का निर्माण उ.प्र. जल निगम द्वारा वाटर सप्लाई मैनुअल के अनुसार किया जायेगा जिसके लिए वास्तविक कार्य की लागत के आधार पर बजट की व्यवस्था नगर विकास द्वारा की जायेगी तथा पेयजल का स्त्रोत समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

ब. पम्प हाउस में विद्युत संयोजन की कार्यवाही उ.प्र. जल निगम द्वारा अपने उपरोक्त विभागीय बजट से करायी जायेगी तथा पेय जलापूर्ति के हेडवर्क्स रख-रखाव हेतु नगर निकाय को हस्तगत की जायेगी।

2. **बाह्य विद्युतीकरण :-**

अ. योजना के प्रत्येक पाकेट में बाह्य विद्युतीकरण उ.प्र. पावर कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए वास्तविक लागत के अनुसार शासन स्तर से विद्युत वितरण प्रणाली हेतु आवंटित धनराशि अपने विभागीय बजट के माध्यम से करायी जायेगी।

ब. बाह्य विद्युतीकरण के अन्तर्गत सब-स्टेशन, ट्रान्सफार्मर लगाना, भूमिगत एल.टी. लाइन तथा भवनों में विद्युत संयोजन का कार्य (फीडर पिलर के माध्यम से) सम्मिलित होगा।

स. भवनों में विद्युत संयोजन के अन्तर्गत एल.टी. लाइन से भवनों के ब्लाक्स में स्टेअर केस पर मीटर पैनल जोडने का कार्य सम्मिलित रहेगा, किन्तु मीटर कनेक्शन सम्बन्धित विद्युत विभाग (केस्को) से स्वयं के व्यय पर आवंटी को लेना होगा।

द. मेन स्विच लगाने व मेंन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त कार्य शासन द्वारा प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर प्राधिकरण द्वारा भी सम्पादित कराये जा सकेंगें।

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Process of Filling of Online Form

ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया

Brochure of Scheme is available on Kanpur Development Authority Website www.kdaindia.co.in. Please keep the following information ready before filling up the form.

योजना की विवरणिका (ब्रोशर) कानपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in पर उपलब्ध है। कृपया ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत् सूचना/प्रपत्र अपने साथ अवश्य रखें:–

Brochure available - www.kdaindia.co.in

विवरणिका उपलब्ध – www.kdaindia.co.in

Checklist (चेकलिस्ट)

Aadhar No. (Self-attested Aadhar Card copy to be uploaded online)

1. आवेदक का आधार संख्या (स्व हस्ताक्षरित आधार प्रपत्र की प्रति अपलोड करने हेतु साथ रखें)।
2. Mobile No. / मोबाइल नम्बर
3. If you belong to Vertical Reservation Category please keep a copy of certificate of your Category (Schedule Caste, Schedule Tribe or Other Backward Class) - to be uploaded online.
   यदि वर्टिकल आरक्षण श्रेणी में हैं तो अपनी आरक्षण श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।
4. Recent Passport size photograph of applicant - to be uploaded online in JPEG format.
   आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी फार्मेट में अपलोड करने हेतु साथ रखें।
5. If you belong to Disabled Category (Horizontal Priority Category) please keep a copy of certificate to be uploaded online.
   यदि आवेदक दिव्यांगजन श्रेणी (छैतिज आरक्षण श्रेणी) के अन्तर्गत हैं तो दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।
6. Income Certificate - to be uploaded online.
   आय प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।
7. Bank Account Details (Bank Account Number and IFSC Code) for Refund to the unsuccessful applicants.
   बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड) जिसमें असफल आवेदक को आवेदन धनराशि वापस की जायेगी।
8. Aadhar Number of Spouse (If Married)
   पति/पत्नी का आधार संख्या (यदि विवाहित है।)
9. Aadhaar Card, if not available Voter ID Card/Any other unique identification number of Father / Mother (Required in case of Unmarried Man / Unmarried Women / Unmarried Transgender, Single / Divorcee Woman)

पिता/माता का आधार/मतदाता पहचान पत्र / कोई अन्य विशिष्ट पहचान पत्र संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें। (अविवाहित पुरूष/अविवाहित महिला/अविवाहित उभयलिंगी एवं विधवा / एकल महिला के लिये अनिवार्य है,)

a. Aadhar
b. Voter ID
c. Pan Card
d. Passport
e. Driving License
f. Ration Card
g. Other

Note: We suggest you to take a print out of the blank form and fill in the detail before filling online to avoid any mistakes**

नोटः हमारा सुझाव है कि कृपया ऑन लाइन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत् फार्म भरकर अपने साथ रखें, जिससे ऑनलाइन एण्ट्री दर्ज करते समय त्रुटि की सम्भावना नहीं रहें।

Proceed for Payment

भुगतान प्रक्रिया

Online Payment Mode:

Please tick to select the Online Payment Mode.
ऑनलाइन भुगतान हेतु विकल्प पर क्लिक करें।

1. NET BANKING (नैट बैंकिंग)
2. DEBIT CARD (डेबिट कार्ड)
3. CREDIT CARD (क्रेडिट कार्ड)
4. UPI (यूपीआई)

Please submit to print the online receipt of payment.
ऑन लाइन भुगतान के उपरांत ऑनलाइन रसीद हेतु सबमिट करें।

Off-Line Payment Mode:-
ऑफ लाइन भुगतान प्रक्रियाः–

Please tick to select the Offline Payment Mode.
ऑफ लाइन भुगतान हेतु विकल्प पर क्लिक करें।

Offline payment can be done through NEFT or Demand Draft or Cash. A copy of Challan will be generated on selection of offline mode. Please print a copy of the challan & produce this to the bank as mentioned below for payment.

ऑफ लाइन भुगतान नेफ्ट अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नकद द्वारा किया जा सकता है। ऑफ लाइन भुगतान विकल्प चुनने पर एक चालान की प्रति सृजित होगी, जिसे प्रिंट कर लें। चालान की प्रति भुगतान हेतु निम्नानुसार बैंक में प्रस्तुत करें।

NEFT:-

Applicant need to visit his Bank (where he/she has his/her Account) for the fees payment through NEFT along with copy of Challan. After successful payment applicant can generate online receipt from KDA Website i.e. www.kdaindia.co.in in 3 working days. Then online receipt can be printed from KDA website by login through Aadhar number.

नेफ्टः–

नेफ्ट से भुगतान हेतु अपने बैंक (जिस बैंक में खाता है) के माध्यम से चालान में अंकित बैंक खाते के पक्ष में आवेदन धनराशि रू. 5000.00 भुगतान करें। आपके बैंक से उक्त धनराशि तीन दिन में प्राप्त होगी, जिसके उपरान्त www.kdaindia.co.in पर अपने आधार नं. से लॉगिन करने पर रसीद प्रिंट कर सकते हैं।

Demand Draft:-

Please get a demand draft of Rs. 5000/- in favor of Kanpur Develpment Authority-PMAY. Then applicant need to visit any HDFC Bank Ltd. Branch in Kanpur City to deposit the Demand Draft along with copy of Challan. After successful payment applicant can generate online receipt from KDA website i.e. www.kdaindia.co.in in 3 working days. Then online receipt can be printed from KDA website by login through Aadhar Number.

डिमाण्ड ड्राफ्ट रू.

डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान करने हेतु Kanpur Development Authority-PMAY' के पक्ष में आवेदन धनराशि रू. 5000.00 का ड्राफ्ट बनवायें। इसे कानपुर शहर के किसी भी एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा में चालान के साथ जमा करायें। जिसके उपरांत 3 दिन में कानपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in पर अपने आधार नं. से लॉगिन करने पर रसीद प्रिंट कर सकते हैं।

Cash:-

The applicant need to visit any HDFC Bank Ltd. Branch in Kanpur City with the copy of Challan Deposit Rs. 5000/- in cash. After successful payment applicant can generate online receipt from KDA Website www.kdaindia.co.in in 3 working days. Then online receipt can be printed from KDA Website by login through Aadhar number.

नकदः–

नकद से भुगतान करने हेतु कानपुर शहर के किसी भी एच.डी.एफ.सी. बैंक की शाखा में चालान में अंकित बैंक खाते के पक्ष में पजीकरण धनराशि रू. 5000.00 नकद जमा करायें, जिसके उपरांत 3 दिन में कानपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in पर अपने आधार नं. से लॉगिन करने पर रसीद प्रिंट कर सकते है।

After successful payment a confirmatory SMS shall be sent to the registered mobile number of the applicant.

सफल भुगतान होने के उपरान्त आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पुष्टि हेतु एक एसएमएस प्रेषित किया जायेगा।

Please enter your Aadhar Number.

(कृपया अपने आधार संख्या दर्ज करें।)

Enter your Aadhar Number.

शपथ–पत्र का प्रारूप

(शपथ–पत्र रू. 10/– के जनरल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

मैं/हम श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री .... आयु .... वर्ष .... निवासी .... शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ करते हैं कि –

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसकी पति /पत्नी/अवयस्क बच्चों से हैं) के किसी सदस्य का कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगें।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे। यदि मेरे भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वे सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा आवेदन फार्म में बैंक खाता सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है, जो कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा।

यदि ये घोषणाएं भविष्य में असत्य पायी जाये तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दें तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू–राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर ली जाये।

................शपथी

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Please ... are mandatory

... अनिवार्य है।

Aadhar Card

Number

Number

5. Date of Birth(DD/MM/YYYY) / जन्म तिथि

7. Gender (Please Select) /
8. Marital Status (Please Select/

9. Father's Name/Mother's Name (पिता का नाम/ माता का नाम)

10. Spouse Name / पति / पत्नि का नाम
11. Aadhaar Number of Spouse (If Married)

12. Aadhar Number of Father (पिता का आधार नंबर)

13. Religion / धर्म (Please Select/ कृपया चुनें)
Aadhaar Card, if not available Voter ID Card/Any other unique identification number of Father/Mother (Required in case of Unmarried Man/ Unmarried Woman/ Unmarried Transgender, Single / Divorcee Woman)

14. Please Select Unique identification

Please Upload self attested copy of Your Aadhar Card (Please upload the copy in PDF, JPEG, PNG format only and 10MB is the max upload size)

Please Upload your latest passport size photograph (Please upload the copy in JPEG,PNG format only and 10MB is the max upload size)

Reservation Category (आरक्षण / वरीयता)

15 A. Vertical Priority (Please select the category you belong to. Upload the Certificate if you belong to reserved category)

Select

Upload category certificate (Please upload in PDF, JPEG, PNG format and 10 MB is the max upload size) /
15 B(i). Horizontal priority (If you are in Disabled category please tick the option and upload the disabled category certificate)

15 B (ii). Please select the horizontal priority Category for availing the reservation benefit /

15 C. Upload Income Certificate (Please upload that in PDF, JPEG, PNG format and file size below 10Mb) /

Applicant Bank Details

... Bank Details for Refund of registration Money to unsuccessful applicants. In case of ... account number, Refund through NEFT will not get processed. So please thorough check ... of account/bank details

[illegible] ... खाते में नहीं हो पाएगी ...

16. Refund Account No. / वापसी खाता सं

17. IFSC Code / आईएफएससी कोड :

18. Re-Enter Refund Account No. / खाता संख्या फिर से दर्ज करें :

19. Bank Name / बैंक का नाम :

In case of incorrect account number, Refund through NEFT will not get processed

गलत खाता संख्या के मामले में, एनईएफटी के माध्यम से वापसी नहीं मिलेगा

Applicant Current Address

20. Address Line 1 / पता 1 :

21. Address Line 2 / पता 2 :

21(A). WARD NUMBER/वार्ड न / पता 2

22. District / जिला

23. State/ राज्य

Applicant Permanent Address

Same as above:

24. Address Line 1 / पता 1 :

25. Address Line 2 / पता 2 :

26. District / जिला

27. State /

28. Ownership Detail of existing House: (Own, Rent or Otherwise) / मौजूदा मकान का विवरण (अपना , किराये ... अन्यथा ...)

29. Type of the House based on roof type / मकान का ...

30. Number of years of stay in this Town / City / इस शहर में कितने समय से रह रहे ...

31. Whether the family owns any house / residential land anywhere in India (yes/ No) / आवेदक के ... भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान है (हां / नहीं) :

32. Does the family have a BPL Card (Yes / no) / क्या परिवार बीपीएल कार्ड धारक

Select

33. Email Id (Optional) ...

Please select Scheme for the Property / कृपया संपत्ति के लिए योजना का चयन करें

34. Scheme Name (please Select) / योजना का नाम (कृपया ...)

35. Nominee Name ...

36. Nominee detail ... Relationship with Applicant / ...

... all the terms and conditions mentioned in the brochure. I accept all the ... (Please Tick)

... करता / करते है कि हमने ... मन विवरणिका (ब्रोशर) मे उल्लिखित समस्त ... को पढ़ लिया है। मुझे समस्त नियम / शर्त स्वीकार है एवं इनका पालन ... करूंगी / करेंगे।

Please thoroughly check all the entries before submitting the form. Once the form is submitted the entries cannot be changed/edited. After successful submission of application form an SMS shall be sent to the registered mobile number of the applicant.

Once submitted, details cannot be changed / सबमिट करने के बाद, विवरण परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

Proceed for Payment/ भुगतान के लिए आगे बढ़ें

38. Amount (RS.)

Submit